न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 359 / 2022 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 29.07.2022	तारीख फैसला 28.02.2024

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र कान्तिचन्द्र शर्मा (ब्राह्मण) निवासी शाहपुरा हाल भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– मु. गंगा पत्नी मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
2– रामकुंवार पुत्र मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
3– कैलाश पुत्र मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
4– मु. लाड पुत्री मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
5– मु. कन्या पुत्री मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
6– मु. हंजा पुत्री मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
7– मु. रतनी पुत्री मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
8– मु. कैलाश पुत्री मांगू जी बैरवा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
9– तहसीलदार सा., शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – प्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम शिवपुरी प.ह. शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या नया 13 व पुराना 21 में आराजी नं. 1872 रकबा 1.31 है, आ.नं. 1873 रकबा 1.22 है. कुल किता 02 रकबा 2.53 है. प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान नक्शे के अनुसार आराजी सं. 1872 का दक्षिणी पूर्वी कोना व मेर ग्राम शिवपुरी की सरहद से लगा हुआ है। साबिक रेकार्ड में आराजी सं. 1872 एवं 1873 की दक्षिणी मेर पूर्ण रूप से ग्राम शिवपुरी की सरहद तक थी। प्रार्थी की आराजी सं. 1873 एवं ग्राम शिवपुरी की सरहद के मध्य आराजी नं. 1873 / 2181 बिलानाम आराजी सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा मनमकसूद तरीके से दर्ज कर दी। जिस हेतु प्रार्थी ने एक वाद पत्र अदालत श्रीमान् के यहां पेश कर रखा है, जिसके मुकदमा नं. 60 / 2013 है जो वर्तमान में जैर कार्यवाही है। प्रार्थी अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् पर पहुंच कर काश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का आमली कलां में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज आराजी सं. 507 गै.मु. सड़क के बदिशा उत्तर में स्थित ग्राम मोतीनगर की विपक्षीगण नं. 01 लगायत 08 के पिता मांगू पुत्र देवा चमार की आराजी सं. 506 की पश्चिमी मेर पर उत्तर की तरफ बढ़ते हुए वर्तमान नक्शे में दर्ज बिलानाम आराजी सं. 1873 / 2181 की दक्षिणी मेर पर पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए अपनी आराजी सं. 1872 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुंचता है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थी की आराजियात् पर पहुंचने के लिये एक मात्र रास्ता है। इसी रास्ते का उपयोग कर प्रार्थी अपनी आराजियात् को काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। पूर्व में प्रार्थी आराजी नं. 506 की पश्चिमी मेर के सहारे सहारे उत्तर की तरफ बढ़ते हुए साबिक नक्शे अनुसार अपनी आराजी पर पहुंचता है। खातेदार मांगू की मृत्यु हो चुकी है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 08 मृतक मांगू के विधिक वारिसान् होकर वारिस काबिज जायदाद होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता नजरी नक्शे में दर्शित कर संलग्न किया जा रहा है, जो प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। प्रार्थी की आराजियात् पर पहुंचने के लिये पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजियात् पर पहुंचने के लिये राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

एवं न ही मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात् पर पहुंचने के लिये आराजी सं. 507 गै.मु. सड़क के बंदिशा उत्तर में स्थित आराजी सं. 506 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से होकर पश्चिमी मेर के सहारे सहारे वर्तमान रेकार्ड में दर्ज आराजी सं. 1873/2181 की दक्षिणी मेर पर पहुंचकर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अपनी आराजी सं. 1872 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुंचकर अपनी आराजियात् को काश्त कर रहा है, परन्तु विपक्षीगणों के द्वारा उक्त रास्ते पर कांटों की बाड़ लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है एवं प्रार्थी को इस रास्ते से आने जाने से मना कर दिया। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी आराजियात् को काश्त करने से वंचित हो रहा है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 08 के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिये जाने पर प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण नं. 01 लगायत 08 को ओलम्बा दिया तो विपक्षीगण नं. 01 लगायत 08 ने कहा कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है, इस कारण से रास्ते का उपयोग नहीं करने बाबत् धमकी दी। उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजियात् पर पहुंचने हेतु एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी को अन्य वैकल्पिक रास्तों की अनुपलब्धता के कारण इस रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता ही लघुतम रास्ता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी की आराजियात् को काश्त किया जाना सम्भव नहीं है।प्रार्थी अपनी आराजियात् पर पहुंचने हेतु पैरा नं. 02 व 03 में वर्णित रास्ते को 15 फिट चोड़ाई तक राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है, जिसके लिये उक्त रास्ते की भूमि का प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात पर पहुंचने हेतु पैरा नं. 02 व 03 में वर्णित अनुसार 15 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार राशि जमा कर, दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश विपक्षीगण नं. 09 को प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 11.10.2022 को विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 10.10.2023 तक विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामिल हो सूचित होने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 13.02.2024 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 47 दिनांक 08.01.2024 से भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 28.02.2024 को प्रकरण में प्रार्थी स्वय की एकतरफा बहस सुनी गयी।

बहस में प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एवं तहसीलदार शाहपुरा से रास्ता हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की जो भी राशि बनेगी वह मैं जमा कराने को तैयार हूं। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलाने की कृपा करावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की आराजियात पर आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया आवश्यक बताया गया है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम बताया गया अतः भू0अ0निरीक्षक आमली कलां एवं पटवारी हल्का शिवपुरी की संयुक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं रास्ता प्रस्ताव तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त डीएलसी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रास्ते हेतु वांछित भूमि का रकबा है0 में	रास्ते हेतु डीएसी दर का दुगना रशि
1.	मागू पुत्र देवा चमार निवासी(मृत) उनके विधिक	506	0.12	30 × 77	0.0220	38920/–

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

	वारिसान प्रार्थीगण सं0 01 लगायत 8					
2.	बिलानाम सरकार	1873/2181	0.25	30 × 40	0.0110	19460/–
3.	कुल योग				0.0330	58380/–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिवपुरी प0म0 शिवपुरी तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी तक पहुंचने हेतु विपक्षीगण सं0 01 लगायत 8 की आराजी सं0 506 रकबा 0.12 है0 में से 77 फीट लम्बा × 30 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0220 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि **38920/– रूपये** बनती है, एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1873/2181 रकबा 0.25 है. में से 40 फीट लम्बा × 30 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0110 है0 भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि **19460/– रूपये** बनती है। इस प्रकार कुल राशि **58380/– रूपये अक्षरे अठावन हजार आठ सो तीस रूपये** उक्त सूची अनुसार संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2024 सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा